स्त्री की जगह

अलका आर्य

हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने वहां के शिया समुदाय की महिलाओं के लिए नया कानून बनाकर पश्चिमी देशों और स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठनों के बीच उबाल पैदा कर दिया है। *शिया पर्सनल स्टेट्स लॉ* नामक यह कानून महिलाओं को पति की अनुमति के बिना घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता और न वे अपने पति के यौन आग्रहों को ठुकरा सकती हैं। यानी विवाह में बलात्कार कानूनन जायज़ है। सवाल है कि हामिद करजई ने महिलाओं की बुनियादी आज़ादी का गला घोटने वाला यह कानून क्यों बनाया?

इसका जवाब अगस्त में होने वाले चुनाव हैं। इतना तय है कि कट्टरपंथी तबकों को खुश करने या राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए जो नया कानून बनाया गया है, वह अफगानिस्तानी समाज में लोकतंत्र और समानता लाने के बजाए उसे पीछे ही धकेलेगा। इस स्त्री विरोधी कानून की निंदा बीते हफ्ते *नाटो* की एक बैठक में भी सुनाई पड़ी। *नाटो* नेताओं का कहना था कि यह कानून तालिबानी अंदाज़ में महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राय में यह घृणित कानून है तो जर्मनी की चांसलर अंजला मार्केल ने इस कानून को अस्वीकार्य बताया। अफगानिस्तान में महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों की चिंता यह है कि हामिद करजई ने इस बिल पर हस्ताक्षर करके महिला अधिकारों के पक्ष में बन रहे माहौल पर हमला बोला है।

इस कानून का अनुच्छेद 133 अत्याधिक विवादास्पद है, जिसमें साफ कहा गया है कि महिलाएं पति की इजाज़त के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और न ही उनके यौन आग्रह को ठुकरा सकती हैं। बिना पति की इजाज़त के वे घर से बाहर बहुत मुश्किल घड़ी में ही बाहर जा सकती हैं। अगर पत्नी शादी से पहले कामकाजी औरत है और वैवाहिक दस्तावेज़ों में उसकी नौकरी छोड़ने की किसी शर्त का कोई उल्लेख नहीं है तो पति उसे जबरन घर नहीं बिठा सकता। लेकिन साथ में यह शर्त रख दी गई है कि उसके कामकाजी होने से परिवार के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। पति अपनी पत्नी को किसी भी 'गैरज़रूरी' और 'गैरइस्लामी' काम करने से रोक सकता है।

अब सवाल यह है कि 'गैरज़रूरी' और 'गैरइस्लामी' की परिभाषा कौन तय करेगा? इस बात का फैसला कैसे होगा और कौन करेगा कि पत्नी के कामकाजी होने से क्या वास्तव में परिवार के हितों को नुकसान पहुंच रहा है?

अगर ऐसा है तो उसका खमियाज़ा अकेले पत्नी क्यों भुगते? इसी तरह औरत किन हालात में पति की इजाज़त के बिना घर से बाहर जा सकती है, यह तय करने का हक़ पति को ही क्यों दिया जाए? दरअसल, इस नए विवादास्पद कानून में महिलाओं के अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे अफगानिस्तान के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकारों से मेल नहीं खाते। वहां की एक महिला वकील के मुताबिक इस कानून के अधिकांश हिस्से संविधान सम्मत महिला बराबरी के हक़ को कम करके आंकने वाले हैं।

यों तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने *नाटो* की साठवीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित बैठक में अफगानिस्तान में बने इस नए कानून को घृणित करार दिया। लेकिन सवाल है कि क्या हामिद करजई अमेरिका के इस दबाव के आगे झुकने को तैयार होंगे? करीब चार महीने बाद अफगानिस्तान में होने वाले चुनाव, कट्टरपंथियों का दबाव और तालिबान नेताओं की अफगानिस्तान के साथ-साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मज़बूत होती पकड़ जैसे हालात को देखते हुए तो इस बात की संभावना काफी क्षीण ही लगती है।

पाकिस्तान की स्वात घाटी में तालिबान के लोगों ने जिस बेरहमी से सत्रह वर्षीय चांद बीबी पर सरेआम सैंतीस कोड़े बरसाए, उस चांद बीबी की चीख-पुकार आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के दर्द से अलग हमारे ज़ेहन को झकझोर देने के लिए काफी है। बेशक इस दर्दनाक दृश्य को आम करने वाले वीडियो को फर्ज़ी बताया जा रहा है और चांद बीबी ने भी कोड़े बरसाने वाली कोई घटना होने से इनकार कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में तालिबान के खौफ़ का कितना असर है, यह वहां के सांस्कृतिक माहौल और महिलाओं की ज़िंदगी को थोड़ा नज़दीक से देखने पर ही पता लग सकता है।

पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' की फीचर संपादक हुमा युसूफ ने अपने एक लेख में लिखा कि कराची में पारंपरिक सलवार-कमीज़ पहनने वाली अधिकतर महिलाओं को हाल में खुद को ऊपर से नीचे तक ढके बिना घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। हिदायत देने वाले कुछेक लोगों के पास हथियार भी थे। कराची के ही एक अंग्रेज़ी माध्यम वाले निजी स्कूल में खेल दिवस के मौके पर खेल में भाग लेने वाली युवा लड़कियों ने सिर को स्कार्फ से ढक रखा था। हुमा युसूफ कहती हैं कि इन हालात में पाकिस्तानी महिलाएं अब खुद से यह सवाल पूछ रही हैं कि हम सैंतीस कोड़ों से कितने कदम दूर हैं।